2016-2019

भाग-II :- लेखा परीक्षा परिणाम (व्यय) जारी है :-

भाग-II)क :(गंभीर आपत्तियां –शून्य

भाग-II)ख :(अन्य अनियमितताए) -1 से 6

पैरा 1 अग्रिमो का समायोजन न करना रू - 93.85 लाख ।

विशवविद्यालय द्वारा उनके कर्मचारियों/अधिकारियों व फर्मो को आपातकालीन कार्यो हेतु अग्रिम दिए जाते है ताकि आपातकालीन कार्यो को पूर्ण करने में कोई बाधा न आए वित्तीय नियमों के अनुसार इस प्रकार के अग्रिम की **राशि** का समायोजन वित्तीय **वर्ष** समाप्त होने से पहले ही किया जाना चाहिए ताकि खर्चो को उनके संबधित **शीर्ष** में दर्ज किया जा सके ।

कार्यालय जे सी बोस **विश्वविद्यालय** विज्ञान एव प्रोधोगिकी वाई एम सी ए, फरीदाबाद के अवधि 04/2016 से 03/2019 तक के लेखाओ की नमूना जॉच के दौरान पाया गया कि कार्यालय द्वारा सलंग्न सूची अनुसार **वर्ष** 2015 से 2019 तक विभिन्न कर्मचारियों/अधिकारियों व फर्मो को 9384539 रू की **राशि** अस्थाई अग्रिमों के रूप में भुगतान किया गया जिसका समायोजन 4 **वर्ष** बीत जाने के उपरांत भी नही किया गया । यह अनियमितता पिछली लेखापरीक्षा **वर्ष** 4/2014 -3/2016 के दौरान भी उठाई गई थी । जिस पर कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई ।

पैरा 2 ठेकेदार के बिलों से प्रदर्शन सुरक्षा की कटोती न करना रुपए-44.64 लाख ।

हरियाणा लोक निर्माण विभाग की संहिता के अनुच्छेद 13.12.1 के तहत, ठेकेदार को प्रदर्शन सुरक्षा (अनुबंध मूल्य का पांच प्रतिशत या निर्धारित प्रतिशत के रूप में) प्रस्तुत करना आवश्यक था, जो बैंक गारंटी के रूप में हो सकता है, जिसे एक निश्चितता के रूप में रखा जा सकता है ताकि ठेकेदार संतोषजनक ढंग से काम पूरा करें। आरंभ में प्रदर्शन सुरक्षा डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि जमा तीस दिन तक वैध होती है अन्यथा जैसा अनुबंध में दर्शाया गया है वैसा। अगर ठेका ज्यादा अव्यवस्थित हो जाता है तो सरकारी हित की सुरक्षा हेतु तदनुसार प्रदर्शन सुरक्षा भी बढाई जानी चाहिए।

कार्यालय,वित नियंत्रक जे सी बोस विश्वविद्यालय (विज्ञानं एवं प्रोद्योगिकी) वाई एम् सी ए फरीदाबाद की अवधि 4/2016 से 3/2019 तक के लेखाओ की लेखा परीक्षा एवं निरिक्षण प्रतिवेदन

भाग-1 (क) प्रस्तावना

विभाग उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा के अंतर्गत आने वाले कार्यालय वित्त नियंत्रक, जे.सी.बोस विश्वविद्यालय ऑफ़ विज्ञानं एवं प्रोद्योगिकी वाई.एम्.सी.ए.फरीदाबाद का मुख्य उदेश्य छात्रों को रास्ट्रीय तथा अंतरास्ट्रीय स्तर की तकनिकी और उच्च शिक्षा प्रदान करना है तथा छात्रों को अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार विकसित करने तथा उन्हें अपने व्यावसाय में विश्व स्तर की प्रतिभा को उभारने व् उन्हें अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए प्रोत्साहित करना है। कार्यालय वित्त नियंत्रक,जे सी बोस विश्वविद्यालय ऑफ़ विज्ञानं एवं प्रोद्योगिकी वाई.एम्.सी.ए.फरीदाबाद के अवधि 4/2016 से 3/2019 तक के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) हरियाणा चंडीगढ़ के लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 27.1.2020 से 14.2.2020 तक की गयी । कार्यालय विश्विद्यालय में आन्तरिक लेखा परीक्षा का प्रावधान किया गया है । कार्यालय विश्वविद्यालय का वार्षिक व्यय रुपए 2910.55 लाख है । पिछले पांच वर्षो के दौरान कार्यालय द्वारा किये गये व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार रहा :

(राशि लाख रूपये में)

वर्ष /अवधि	**बजट प्रावधान**	**व्यय**
2014-15	1612.06	1614.03
2015-16	1850.25	1706.09
2016-17	1928.16	2104.78
2017-18	3129.67	2360.80
2018-19	3101.74	2910.55

कार्यालय जे.सी.बोस विश्वविद्यालय ऑफ़ विज्ञानं एवं प्रोद्योगिकी वाई.एम्.सी.ए.फरीदाबाद के अवधि 04/2016 से 03/2019 तक के लेखों/ अभिलेखों की लेखा परीक्षा 27.01.2020 से 14.02.2020 तक की गई जिनमें अभिलेखों की नमूना जाँच के लिए माह मार्च 2017, जनवरी 2018, जुलाई 2018 एवं मार्च 2019 का चयन अधिकतम खर्चे व मार्च महीने के आधार पर किया गया है । यह लेखा परीक्षा भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की गई है ।

विभिन्न योजनाओं का ऑडिट योजनाओं में निर्धारित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए किया गया है ।

कार्यालय,वित्त नियंत्रक जे सी बोस विश्वविद्यालय (विज्ञानं एवं प्रोद्योगिकी) वाई एम् सी ए फरीदाबाद की अवधि 4/2016 से 3/2019 तक के लेखाओ की लेखा परीक्षा एवं निरिक्षण प्रतिवेदन

भाग-1 (क) प्रस्तावना

विभाग उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा के अंतर्गत आने वाले कार्यालय वित नियंत्रक, जे.सी.बोस विश्वविद्यालय ऑफ़ विज्ञानं एवं प्रोद्योगिकी वाई.एम्.सी.ए.फरीदाबाद का मुख्य उदेश्य छात्रों को रास्ट्रीय तथा अंतरास्ट्रीय स्तर की तकनिकी और उच्च शिक्षा प्रदान करना है तथा छात्रों को अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार विकसित करने तथा उन्हें अपने व्यावसाय में विश्व स्तर की प्रतिभा को उभारने व् उन्हें अपने सामाजिक उत्तरदायित्त्व के लिए प्रोत्साहित करना है। कार्यालय वित नियंत्रक,जे सी बोस विश्वविद्यालय ऑफ़ विज्ञानं एवं प्रोद्योगिकी वाई.एम्.सी.ए.फरीदाबाद के अवधि 4/2016 से 3/2019 तक के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) हरियाणा चंडीगढ़ के लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 27.1.2020 से 14.2.2020 तक की गयी । कार्यालय विश्विद्यालय में आन्तरिक लेखा परीक्षा का प्रावधान किया गया है । कार्यालय विश्वविद्यालय का वार्षिक व्यय रुपए 2910.55 लाख है । पिछले पांच वर्षो के दौरान कार्यालय द्वारा किये गये व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार रहा :

(राशि लाख रूपये में)

वर्ष /अवधि	बजट प्रावधान	व्यय
2014-15	1612.06	1614.03
2015-16	1850.25	1706.09
2016-17	1928.16	2104.78
2017-18	3129.67	2360.80
2018-19	3101.74	2910.55

कार्यालय जे.सी.बोस विश्वविद्यालय ऑफ़ विज्ञानं एवं प्रोद्योगिकी वाई.एम्.सी.ए.फरीदाबाद के अवधि 04/2016 से 03/2019 तक के लेखों/ अभिलेखों की लेखा परीक्षा 27.01.2020 से 14.02.2020 तक की गई जिनमें अभिलेखों की नमूना जाँच के लिए माह मार्च 2017, जनवरी 2018, जुलाई 2018 एवं मार्च 2019 का चयन अधिकतम खर्चे व मार्च महीने के आधार पर किया गया है । यह लेखा परीक्षा भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की गई है ।

योजनाओं का ऑडिट योजनाओं में निर्धारित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए किया गया है ।

भाग-॥ :- लेखा परीक्षा परिणाम (व्यय) जारी है :-

भाग-॥)क :(गंभीर आपत्तियां –शून्य

भाग-॥)ख :(अन्य अनियमितताए) -1 से 6

पैरा 1 अग्रिमो का समायोजन न करना रू - 93.85 लाख ।

विशवविद्यालय द्वारा उनके कर्मचारियों/अधिकारियों व फर्मो को आपातकालीन कार्यो हेतु अग्रिम दिए जाते है ताकि आपातकालीन कार्यो को पूर्ण करने में कोई बाधा न आए वित्तीय नियमों के अनुसार इस प्रकार के अग्रिम की **राशि** का समायोजन वित्तीय **वर्ष** समाप्त होने से पहले ही किया जाना चाहिए ताकि खर्चो को उनके संबधित **शीर्ष** में दर्ज किया जा सके ।

कार्यालय जे सी बोस **विश्वविद्यालय** विज्ञान एव प्रोधोगिकी वाई एम सी ए, फरीदाबाद के अवधि 04/2016 से 03/2019 तक के लेखाओ की नमूना जॉच के दौरान पाया गया कि कार्यालय द्वारा सलंग्न सूची अनुसार **वर्ष** 2015 से 2019 तक विभिन्न कर्मचारियों/अधिकारियों व फर्मो को 9384539 रू की **राशि** अस्थाई अग्रिमों के रूप में भुगतान किया गया जिसका समायोजन 4 **वर्ष** बीतं जाने के उपरांत भी नही किया गया । यह अनियमितता पिछली लेखापरीक्षा **वर्ष 4/2014 -3/2016** के दौरान भी उठाई गई थी । जिस पर कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई ।

पैरा 2 ठेकेदार के बिलों से प्रदर्शन सुरक्षा की कटोती न करना रुपए-44.64 लाख ।

हरियाणा लोक निर्माण विभाग की संहिता के अनुच्छेद 13.12.1 के तहत, ठेकेदार को प्रदर्शन सुरक्षा (अनुबंध मूल्य का पांच प्रतिशत या निर्धारित प्रतिशत के रूप में) प्रस्तुत करना आवश्यक था, जो बैंक गारंटी के रूप में हो सकता है, जिसे एक निश्चितता के रूप में रखा जा सकता है ताकि ठेकेदार संतोषजनक ढंग से काम पूरा करें। आरंभ में प्रदर्शन सुरक्षा डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि जमा तीस दिन तक वैध होती है अन्यथा जैसा अनुबंध में दर्शाया गया है वैसा। अगर ठेका ज्यादा अव्यवस्थित हो जाता है तो सरकारी हित की सुरक्षा हेतु तदनुसार प्रदर्शन सुरक्षा भी बढाई जानी चाहिए।

कार्यालाय जे सी बोस विज्ञान एवम् प्रोद्योगिकी वाई ऍम सी ऐ विश्वविद्यालय, फरीदाबाद के अवधि 04/2016 से 03/2019 तक के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया कि विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में निर्माण कार्य शीर्षक "Construction of multi-storied officers residence at YMCA University, Faridabad" निविदा आमंत्रित उपरांत श्री राजेश कुमार बत्रा, ठेकेदार को रुपए 36,67,20,691/- की लागत पर (HSR+CP 2011) + 12.69 % above ceiling rates की दर पर दिनांक 19.09.2017 को आवंटित किया गया था।

लेखों की नमूना जाँच में आगे पाया गया कि निर्माण कार्य के मूल प्राक्कलन में बेसमेंट में पार्किंग हेतु प्रावधान नहीं किया गया था। बाद में वास्तुकार सलाहकार की राय पर इसका एग्जीक्यूटिव कौंसिल की चोबिस्वीं बैठक में अनुमोदन करवा लिया गया। बेसमेंट में पार्किंग हेतु प्रावधान उपरांत निर्माण कार्य की लागत रुपए 36,67,20,691/- से रुपए 45,60,00,000/- बढ गई। इस प्रकार ठेकेदार के भुगतान से राशि रुपए 2.28 करोड़ की कटौती करनी चाहिए थी जबकि ठेकेदार को भुगतान की गई राशि के रनिंग बिलों की जाँच में अवलोकित हुआ की दसवें रनिंग बिल तक मूल लागत पर रुपए 1,83,36,035/- की ही कटौती की गई।

इस प्रकार रुपए 44,63,965/- की राशि की कम कटौती की गई जिसका लेखा परीक्षा को औचित्य बताया जाए ।

पैरा 3 पास छात्र /छात्राओ को प्रतिभूति की राशि वापिस न करना रु.- 27.16 लाख ।

विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार विद्यार्थीयो से प्रथम वर्ष में कौर्स में प्रवेश के समय एक बार विद्यार्थी प्रतिभूति ली जाती है यह विद्यार्थी प्रतिभूति राशी 7000 रुपए प्रति विद्यार्थी वसूल की जाती है (जिसमे 2000 रुपए विश्वविद्यालय प्रतिभूति प्रति विद्यार्थी तथा 5000 रुपए प्रति विद्यार्थी लाईब्रेरी प्रतिभूति) नियमानुसार विद्यार्थियों द्वारा जमा की गयी सिक्यूरिटी की राशी विश्वविद्यालय से कोर्स पूरा करने या विश्वविद्यालय छोड़ने के (एक वर्ष छ महीने के बाद) वापिस करनी होगी यदि कोई विद्यार्थी अपने कोर्ष की अंतिम परीक्षा में पास होने पर या विश्वविद्यालय छोड़ने के एक वर्ष छ महीने के अन्दर अदेय प्रमाण पत्र जमा करवाने में असफल रहता है तो उसकी प्रतिभूति सिक्यूरिटी जब्त कर ली जायगी ।

कार्यालय वित्त नियंत्रक,जे सी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ़ विज्ञानं एवं प्रोधोयोगिकी,वाई एम् सी ए. फरीदाबाद की लेखा अवधि वर्ष 04/2016 से 03/2019 की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि दिनाक 31.1.2020 तक विश्वविद्यालय के खातो में विद्यार्थी प्रतिभूति राशी 2716000

भुगतान किया गया परन्तु एन बी सी सी द्वारा कटोती की गयी राशि 2100374/ रुपए का
विस्तृत समायोजन का विवरण विश्वविद्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सुनिश्चित
किया जा सके कि यह राशी अनुबंध की विभिन्न धाराओ (clause) के अनुसार काटी गयी थी
अथवा नहीं लेखा परीक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता ।

पैरा 5 ठेकेदार से केफटेरिया स्थल के किराए की वसूली न करना राशि: रू 0.98 लाख

कार्यालय जे. सी. बोस विज्ञान एवं प्रोधोगिकी वाई. एम. सी. ए. विश्वविघालय की अवधि अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के लेखाओ की नमूना जॉच में पाया गया कि विश्वविघालय परिसर में एक केफटेरिया स्थल है, जिसको समय–समय पर टेंडर के माध्यम से ठेकेदार को आंबटित किया जाता है ताकि छात्रा–छात्राओ को विश्वविघालय परिसर के अन्दर ही चाय जंल–पान व अन्य खाने पीने की वस्तएं उपलब्ध हो सके ।

लेखाओ की नमूना जॉच के आगे पाया गया कि उपरोक्त स्थल को बोली लगाकर ए बी सर्विस केटरिंग को दिनांक 10–07–2017 को पांच वर्ष के लिए आंबटित किया गया था इस सम्बन्ध मे ठेकेदार व विश्वविघालय के बीच दिनाक 10–07–2017 को अनुबन्ध किया गया था एवं ठेकेदार द्वारा सुविधाए 01–08–2017 से दी जानी थी । अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार ठेकेदार से 5000 हजार रू प्रतिमाह किराया की वसूली की जानी चाहिए थी। उपरोक्त किराए में प्रति वर्ष की समाप्ति पर मूल किराए में 10 प्रतिशत की दर से बढोतरी की जानी चाहिए थी जो विश्वविघालय द्वारा नही की गई। अनुबन्ध के अनुसार कैंटीन में Fire Extinguishers लगवाना था परन्तु कैन्टन में आज की तिथि तक कोई भी Fire Extinguishers नही लगवाया गया है जो कि आपदा प्रबन्धन के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है साथ ही ठेकेदार द्वारा प्रतिमाह किराया भी जमा नही कराया गया जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :

समय	प्रतिमाह दर	वसूल करने योग्य राशि रू में	वसूल की गई राशि रू में	बकाया वसूलीय राशि रू में
08/2017 से 07/2018 तक (12 माह)	रू 5000/	60000/	40000/	20,000/
च08/2018 से 2019 तक (12 माह)	रू 5500/ (10%) बढ्रि के बाद	66000/	30000/	36,000/
08/2019 से 02/2020 तक (7 माह)	रू 6050/ (10%) बढ्रि के बाद	42350/	शून्य	42,350
कुल योग		168350	70000	98350

अनुबन्ध के अनुसार ठेकेदार से 98350 लाख रू किराया वसूली न करने संबंधित प्रयास किए गए ।